न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 85/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थी – 1.पूराराम पुत्र लूणाराम, जाति मेघवाल
निवासी तारातरा मठ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री फताराम गोदारा**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 04.08.2021

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा गोमरखधाम (तारातरा मठ), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में सरकारी मूल खसरा सं. 128 कुल रकबा 100.00 बीघा था, जिसमें से सरकार द्वारा हेमा पुत्र फूसा को खसरा सं. 1429/128 रकबा 50.00 बीघा का आवंटन किया गया तथा शेष सरकारी भूमि खसरा सं. 1427/128 रकबा 25.00 बीघा एवं खसरा सं. 1428/128 रकबा 25.00 बीघा आई हुई है। खसरा सं. 1429/128 रकबा 50.00 बीघा में से रकबा 01.00 बीघा भूमि राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण कर दी जिसके नये खसरा सं. 1441/128 है।

इस प्रकार प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा सं. 1429/128 रकबा 49.00 बीघा का मौजा गोमरखधाम (तारातरा मठ) में आया हुआ है। जिसमें से प्रार्थी द्वारा 00.17 बीघा सरकार के पक्ष में समर्पण करा दी गई है। जिसका नामान्तरकरण सं. 160 दिनांक 20.11.2019 स्वीकृत कर नया खसरा सं. 1482/128 सृजित किया गया। [illegible] का शेष रकबा 48.03 बीघा का रहा है।

प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त भूमि [illegible] 30.01.2013 को खातेदार लूम्बा, खेता, उदा पि. हेमा से खरीद की थी। जिसका नामान्तरकरण सं. 92 दिनांक 05.04.2013 को पारित किया गया। जो भूमि खातेदार हेमा को आवंटन दिनांक 29.07.1966 की थी जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नामान्तरकरण सं. 135 दिनांक 29.07.1966 को स्वीकृत किया गया, उसके बाद हेमा का खातेदारी नामान्तरकरण सं. 542 दिनांक 30.05.1981 स्वीकृत किया गया, उसी वक्त से सरकार द्वारा 50 बीघा का कब्जा सुपुर्द किया गया ।

तहसीलदार एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते वक्त 50.00 बीघा की जगह 41.00 बीघा की लट्ठा ट्रेस में तरमीम कर दी, जो राजस्व रेकर्ड के हिसाब से 09.00 बीघा कम है, जो सेढ़ा सेढ़ सरकारी खसरा सं. 1427/128 व 1428/128 में दर्शायी गई। जो गलत है। मौके पर तरमीम करते समय लट्ठा ट्रेस में भौतिक कब्जा अनुसार तरमीम न करते हुए गलत तरमीम कर दी गई । इसलिए उक्त गलत तरमीम को दुरस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा यह आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती का पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया । तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की।

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी वकील उपस्थित हुए । प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन/अवलोकन किया। सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए तरमीम दुरस्त करना न्यायोचित है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा गोमरखधाम (तारातरा मठ) तहसील चौहटन के खसरा सं. 1429/128 खसरा सं. 1427/128 एवं खसरा सं. 1428/128 की भूमि की तरमीम तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित सलंग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक–भू.अ. / 2021 / 1143 दिनांक:– 3-8-2021

प्रेषित:– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चौहटन।

विषय:– राजस्व ~~वाद~~ आवेदन सं. 85 / 2021 अनवान पूराराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ. में वास्ते तरमीम दुरस्त करने सम्बन्धी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

प्रसंग:– श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के पत्रांक / राजस्व कोर्ट / 2021 / 1025 दिनांक 20.07.2021

Court
04/08/2021

महोदय जी,

विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ मे निवेदन है कि राजस्व आवेदन संख्या 85 / 2021 अनवान पूराराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ. में वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत् मौजा गोमरखधाम के मूल खसरा नम्बर 128 रकबा 100.00 बीघा भूमि की मौका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु भू. अभिलेख निरीक्षक तारातरा को आदेशित किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक तारातरा द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द व तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार मौजा गोमरखधाम के खसरा नम्बर 128 रकबा 100 बीघा में से 50 बीघा भूमि हेमा पुत्र फूसा कौम मेघवाल सा.तारातरा मठ को आवंटन होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 135 दिनांक 29.07.1966 आवंटी के नाम गैर खातेदारी का अमल दरामद किया गया। नामान्तरकरण संख्या 542 दिनांक 30.05.1981 द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। हेमा पुत्र फूसा फौत होने पर लुम्बा खेता उदा पि.हेमा के नाम रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त आवंटित कुल 50.00 बीघा रकबा में से नवसृजित खसरा नम्बर 1441 / 128 रकबा 1.00 बीघा समर्पण करने से शेष 49.00 बीघा भूमि खातेदारान् श्री लुम्बा खेता उदा पि.हेमा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 30.01.2013 को विक्रय करने पर खरीददार पूराराम पुत्र लुणाराम कौम मेघवाल सा.तारातरा मठ के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 05.04.2013 को अमल दरामद किया गया, तब से आज तक उक्त भूमि प्रार्थी पूराराम पुत्र लूणाराम के नाम रेकर्ड में दर्ज है। उक्त क्रयशुदा भूमि में से नवसृजित खसरा नम्बर 1482 / 128 रकबा 0.17 बीघा समर्पण करने से खातेदार पूराराम के नाम वर्तमान में खसरा नम्बर 1429 / 128 रकबा 48.03 बीघा शेष है। प्रार्थी की उक्त भूमि 1429 / 128 रकबा 48.03 बीघा का मौके पर कब्जा काश्त का मुआयना किया गया व मौका अनुसार पैमाईश की गई। प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त संलग्न मौके अनुसार नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग लाल अनुसार [illegible] लट्ठा ट्रेस में तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ट ब अनुसार है, वर्तमान लट्ठा ट्रेस [illegible] तरमीम अनुसार रकबा बरारी करने पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 14[illegible] [illegible] बीघा होता है जो मौके पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

काश्त व रेकर्ड में दर्ज रकबे से भिन्न है। वर्तमान तरमीम अनुसार प्रार्थी के खसरे में 9.00 बीघा भूमि कम है जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त 48.03 बीघा पर परिशिष्ट अ अनुसार पूर्ण है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 1429/128 रकबा 48.03 बीघा की तरमीम दुरस्ती संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग लाल अनुसार करने पर शेष खसरा नम्बर 1428/128 रकबा 25.00 बीघा, 1427/128 रकबा 25.00 बीघा जो राजस्व रेकर्ड में सरकारी भूमि है, की तरमीम भी परिशिष्ट अ अंकित अनुसार दुरस्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रार्थी के खसरा नम्बर 1429/128 का लट्ठा ट्रेस में वर्तमान तरमीम अनुसार रकबा कम होने से प्रार्थी के खसरा नम्बर 1429/128 रकबा 48.03 बीघा, सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1427/128 रकबा 25.00 बीघा, खसरा नम्बर 1428/128 रकबा 25.00 बीघा की तरमीम संलग्न मौके अनुसार नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार दुरस्त किया जाना उचित है।

संलग्नः– मौका फर्द मय नक्शा।

भवदीय

(गणेशाराम)

तहसीलदार(भू.अ.)चौहटन

तहसीलदार चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

मौका अनुसार नक्शा परिशिष्ट "अ"

रा. आ. सं. 85/2021

पूराराम v/s राज. सरकार

नक्शा किश्तवार

मौजा – गोमरखधाम

तह० – चौहटन

पैमाना – 9" = 20 गठ्ठा

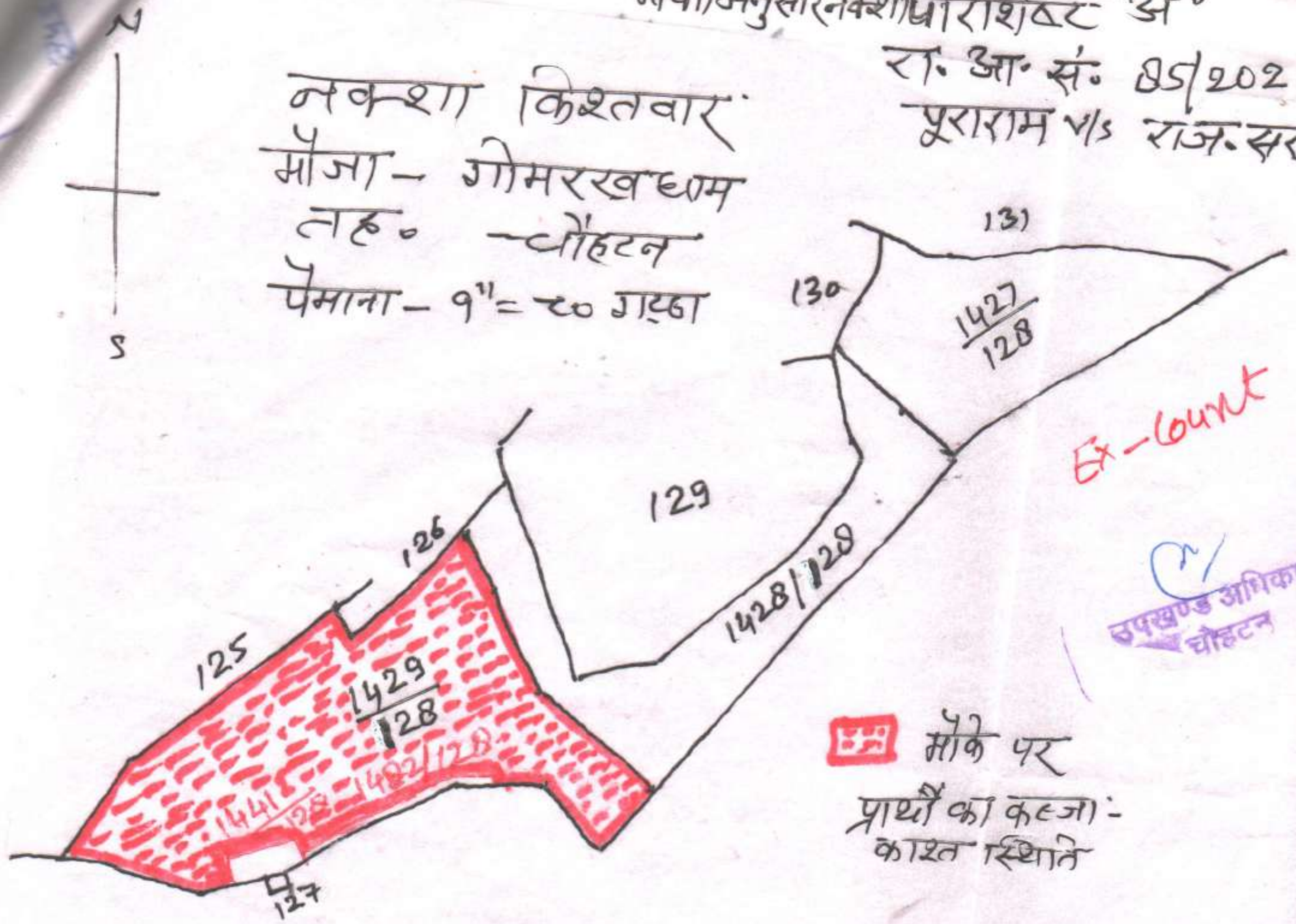

मौके पर प्रार्थी का कब्जा-काश्त स्थिति

ILR नारातरा

(उपखण्ड अधिकारी चौहटन)

(प्रतापपुरी) (राणासिंह)

(जेठाराम सियाग) (खीमाराम)

(जोगाराम पटवार मंडल)

(ऊमेदाराम) (जेताराम) (पूराराम प्रार्थी)

(तहसीलदार चौहटन)

हस्ताक्षर

ईश्वरराम

खीमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested